न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–15, लखनऊ

सत्र परीक्षण संख्या–3098/2023

मु०अ०सं०–224/2021

धारा–308, 325 भा.दं.सं.,

थाना–तालकटोरा, लखनऊ।

दिनांक–16.07.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित–16.07.2024 वास्ते पी०डब्ल्यू०–2 नीलम मौर्या को जिरह हेतु तलब किये जाने के बाबत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि दिनांक–04.07.2024 को पत्रावली पी०डब्ल्यू०–2 से जिरह किये जाने हेतु नियत थी, किन्तु अधिवक्ता महोदय की अचानक तबियत खराब होने के कारण अधिवक्ता महोदय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण पी०डब्ल्यू०–2 से जिरह नहीं की जा सकी और न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को पी०डब्ल्यू०–2 से बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया। पी०डब्ल्यू०–2 नीलम मौर्या से बचाव पक्ष द्वारा जिरह किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त साक्षी को जिरह हेतु तलब किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र दिनांकित–16.07.2024 अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत मामले के पी०डब्ल्यू०–2 नीलम मौर्या से जिरह किये जाने हेतु उन्हें न्यायालय में तलब किये जाने के आशय से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत मामले में पी०डब्ल्यू०–2 का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है एवं उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह हेतु पत्रावली दिनांक–04.07.2024 को नियत थी, किन्तु अधिवक्ता महोदय अचानक बीमार हो गये जिस कारण वह उक्त तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष की अनुपस्थिति के कारण बचाव पक्ष का उक्त साक्षी से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया। उक्त साक्षी मौके की गवाह है, इसलिए उससे जिरह किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित–16.07.2024 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित–16.07.2024 **रुपये 2000/–** हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त हर्जे की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भीरत 10 दिवस जमा किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में यह आदेश स्वतः समाप्त माना जायेगा। साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 नीलम मौर्या वास्ते जिरह नियत तिथि पर तलब हों। पत्रावली वास्ते जिरह पी०डब्ल्यू०–2 **दिनांक–30.07.2024** को पेश हो।

(आशीष कुमार चौरसिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–15, लखनऊ।

Digitally signed by Ashish Kumar Chaurasia
Date: 2024.07.16 04:48:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court